

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(कल्याण शाखा)**

**पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में
खाद्य-अखाद्य सामग्री आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची :-**

(क) भोजन एवं जलपान मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	उसना चावल उत्तम प्रति कि०ग्रा०	23.	सूची प्रति कि०ग्रा०
2.	उसना चावल मध्यम प्रति कि०ग्रा०	24.	मूंगफली दाना प्रति कि०ग्रा०
3.	अरवा चावल (खीर हेतु) प्रति कि०ग्रा०	25.	टाटा नमक प्रति कि०ग्रा०
4.	मसूर दाल प्रति कि०ग्रा०	26.	पापड़ (200 ग्राम श्रीराम पैकेट)
5.	मूंगदाल प्रति कि०ग्रा०	27.	काजू प्रति कि०ग्रा०
6.	अरहर दाल प्रति कि०ग्रा०	28.	गरी प्रति कि०ग्रा०
7.	चनादाल प्रति कि०ग्रा०	29.	किशमिस प्रति कि०ग्रा०
8.	चना प्रति कि०ग्रा०	30.	चना बेसन प्रति कि०ग्रा०
9.	चूड़ा प्रति कि०ग्रा०	31.	मैदा प्रति कि०ग्रा०
10.	चीनी प्रति कि०ग्रा०	32.	आटा प्रति कि०ग्रा०
11.	गुड़ प्रति कि०ग्रा०	33.	खस्सी मांस प्रति कि०ग्रा०
12.	रिफाईन तेल (फॉर्चुन) प्रति लीटर	34.	मुर्गा मांस देशी प्रति कि०ग्रा०
13.	सरसों तेल ब्राण्डेड सहित प्रति लीटर	35.	मुर्गा मांस बॉयलर प्रति कि०ग्रा०
14.	सुधा दूध प्रति लीटर	36.	आलू प्रति कि०ग्रा०
15.	जलावन लकड़ी प्रति कि०ग्रा०	37.	प्याज प्रति कि०ग्रा०
16.	सोया बड़ली (न्यूड्रिला) प्रति पैकेट	38.	अदरक प्रति कि०ग्रा०
17.	हल्दी गोटा प्रति कि०ग्रा०	39.	लहसुन प्रति कि०ग्रा०
18.	धनिया गोटा प्रति कि०ग्रा०	40.	अंडा प्रति नग
19.	लाल मिर्च गोटा प्रति कि०ग्रा०	41.	जीरा पाउडर प्रति कि०ग्रा०
20.	गोल मिर्च गोटा प्रति कि०ग्रा०	42.	धनिया पाउडर प्रति कि०ग्रा०
21.	जीरा गोटा प्रति कि०ग्रा०	43.	हल्दी पाउडर प्रति कि०ग्रा०
22.	गरम मसाला प्रति कि०ग्रा०	44.	मिर्चा पाउडर प्रति कि०ग्रा०

(ख) हरी सब्जी मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	फुलगोभी प्रति कि०ग्रा०	12.	कोहड़ा प्रति कि०ग्रा०
2.	बंधागोभी प्रति कि०ग्रा०	13.	कद्दु प्रति कि०ग्रा०
3.	परवल प्रति कि०ग्रा०	14.	खेखसा प्रति कि०ग्रा०
4.	बरबटी प्रति कि०ग्रा०	15.	सीम प्रति कि०ग्रा०
5.	बैंगन प्रति कि०ग्रा०	16.	फेंचबीन प्रति कि०ग्रा०
6.	भिंडी प्रति कि०ग्रा०	17.	टमाटर प्रति कि०ग्रा०

7.	करेला प्रति कि०ग्रा०	18.	मूली प्रति कि०ग्रा०
8.	कच्चा पपीता प्रति कि०ग्रा०	19.	पालक साग प्रति कि०ग्रा०
9.	हरा मिर्च प्रति कि०ग्रा०	20.	गेन्हरी/लाल साग प्रति कि०ग्रा०
10.	कुदरी प्रति कि०ग्रा०	21.	सेव प्रति कि०ग्रा०
11.	झिंगली प्रति कि०ग्रा०	22.	केला पका हुआ (सिंगापुरी) प्रति दर्जन

(ग) तेल साबुन मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	लाईफबॉय 120 ग्रा० प्रति	7.	नारियल झाड़ू प्रति नग
2.	सर्फ (व्हील और निरमा) 190 ग्रा० प्रति	8.	फुल झाड़ू प्रति नग
3.	बाटी साबुन (चाकुलिया) 200 ग्रा० प्रति	9.	दुधपेस्ट (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
4.	रिन सुप्रीम साबुन 240 ग्रा० प्रति	10.	दुधब्रश (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
5.	हारपीक (एम०एल० सहित) पावर 500 मि० प्रति	11.	जिभी स्टील प्रति नग
6.	फीनाईल (ग्रेस 500 एम०एल०) प्रति	12.	एसीड 500 ग्रा०

(घ) वस्त्र एवं पोशाक

क्र.	वस्तु का नाम
1.	नेभी ब्लू सुटिंग कपड़ा प्रति मी० Width 138 cm blend-67% Polyester 33% viscose (ग्वालियर/मफतलाल/रेमण्ड/सियाराम/एस कुमार/विमल)
2.	व्हाइट सर्ट के लिए प्रति मी० Width 89 cm blend-67% Polyester 33% viscose (ग्वालियर/मफतलाल/रेमण्ड/सियाराम/एस कुमार/विमल)
3.	सिलाई का दर (एक फुलशर्ट + एक फुलपैट)
4.	कपड़े का जूता सफेद (केनवास) प्रति जोड़ा
5.	मोजा प्रति जोड़ा
6.	बेडसीट साईज सहित प्रति नग
7.	चादर ओढ़ने की साईज सहित प्रति नग
8.	कम्बल ब्राण्डेड एवं साईज सहित प्रति नग
9.	दरी सिंगल साईज सहित प्रति नग
10.	दरी बड़ी साईज सहित प्रति नग
11.	तकिया कभर सहित प्रति नग
12.	मच्छरदानी साईज सहित प्रति नग
13.	गमछा/तौलिया प्रति नग
14.	स्वेटर फुल बांह का प्रति नग साईज 28" से 36"
15.	स्कूल बैग

(ड.) पठन-पाठन एवं लेखन सामग्रियाँ

क्र.	वस्तु का नाम
1.	पाठ्य-पुस्तक (एन.सी.ई.आर.टी.) अधिकतम छुट
2.	अन्य पुस्तक (अधिकतम छुट)
3.	डोट पेन प्रति नग
4.	बाईन्ड कॉपी 192 पेज प्रति नग
5.	लॉग कॉपी (रजिस्टर टाईप) साईज सहित प्रति नग
6.	ज्यामिति बॉक्स प्रति नग अच्छी क्वालिटी का (ब्राण्डेड)
7.	काष्ठ पेंसिल (नटराज/कैमल) प्रति नग
8.	स्केल 12" प्लास्टिक/काष्ठ ब्राण्डेड प्रति नग

9. पेंसिल सर्फनर ब्राण्डेड प्रति नग
10. रबड (नटराज/कैमल ब्राण्डेड) प्रति नग
11. ड्राईंग कॉपी कैमल प्रति नग
12. सादा कागज प्रति रीम
13. रूलदार कागज प्रति रीम
14. ए-4 साईज फोटो कॉपी पेपर (कोरेक्स/सेंचुरी/पाउर) प्रति पैकेट
15. कार्बन कैमल/कोरेक्स प्रति पैकेट
16. पेपर पीन प्रति पैकेट
17. पेपर वेट प्रति नग
18. टेग प्रति बण्डल
19. चोक (खल्ली) प्रति पैकेट
20. फलेट फाईल प्रति नग
21. फॅसी रजिस्टर (प्रति नम्बर)
22. गोंद 300 मि०ली०/700 मि०ली०
23. डस्टर प्रति नग
24. गार्ड फाईल प्रति नग
25. गार्ड फाईल प्रति नग
प्लाईलीफ कपड़ा सहित प्रति नग
26. ग्लोब (साईज सहित)
27. ज्यामिति बॉक्स बड़ा (शिक्षक हेतु)
28. कलर पेंसिल/पेन प्रति पैकेट

(च) खेलकूद सामग्री

क्र. वस्तु का नाम

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. फुटवॉल | 16. थाई पेड |
| 2. वॉलीवॉल | 17. एल्बो गार्ड |
| 3. वॉलीवॉल नेट | 18. एडी गार्ड |
| 4. बैडमिंटन रैकेट | 19. बैटिंग ग्लब्स |
| 5. बैडमिंटन नेट | 20. विकेट कीपिंग ग्लब्स |
| 6. कैरम बोर्ड 33" | 21. विकेट सेट |
| 7. कैरम बोर्ड 39" | 22. बैटिंग हेलमेट |
| 8. लूडो | 23. विकेट कीपिंग हेलमेट |
| 9. शतरंज | 24. बैटिंग पेड |
| 10. फलाईप डिस्क | 25. विकेट कीपिंग पेट |
| 11. रस्सी कूदने की | 26. बैट टेनिस |
| 12. कैरम बोर्ड 26" | 27. बैट (ड्युज) |
| 13. एल्बो कैप | 28. बॉल ड्युज |
| 14. नी कैप | 29. बॉल टेनिस |
| 15. कैप | 30. बैटमिंटन कॉर्क |

(छ) सांस्कृतिक कार्यक्रम सामग्री

क्र. वस्तु का नाम

1. हरमूनियम
2. ढोलक
3. तबला
4. डुगी
5. मांदर
6. नगाड़ा
7. गिटार

निविदा की शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदादाता को विक्री कर विभाग में निबंधन का अनुज्ञापति प्रमाण-पत्र देना होगा ।
2. निविदा के साथ निविदादाताओं को आयकर रिटर्न 2014-15, पैन कार्ड एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अद्यतन अभिप्रमाणित छायाप्रति, इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत हेल्थ लाईसेंस, कृषि उत्पादन बाजार समिति की अनुज्ञापति प्रमाण-पत्र, मापतौल विभाग का निबंधन की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।
3. निविदा के साथ क्रमांक क, ख एवं ग के लिए अग्रधन के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपये तथा घ, ङ, च एवं छ के लिए अग्रधन के रूप में 30,000/- (तीस हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा । बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
4. निविदा के सामग्रियों का दर सूची अनुसार सभी कर सहित अंकित करेंगे । किसी प्रकार का कटिंग या ओवर राईटिंग होने पर इसपर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. दर निर्धारण के समय खाद्यान्न सामग्री के नमूना 03 पैकेट में लाना अनिवार्य होगा तथा अन्य सामग्री का नमूना एक-एक प्रति अच्छे गुणवत्ता एवं सर्वनिम्न दर पर निविदा का निर्धारण किया जाएगा ।
6. सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पहुंचाकर करनी होगी ।
7. स्वीकृत निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी । आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है । भुगतान के विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे ।
8. इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि किसी जिला में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है तथा उनपर तथा फर्म पर किसी भी जिला में प्राथमिकी दर्ज नहीं है ।
9. पूर्वी सिंहभूम जिला से बाहर के निविदादाता शपथ-पत्र के द्वारा इस जिला में अस्थायी कार्यालय संबंधी विवरणी, कर्मचारी आदि का नाम देना अनिवार्य होगा ।
10. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामा करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे । ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर सामग्रियों को बदलना होगा ।
11. आपूर्ति आदेश वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिए मान्य होगा ।
12. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा ।
13. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।
14. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति विद्यालय तक पहुंचाकर करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
15. निविदादाता को निविदा दो शील्ड लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड जिला क्रय समिति के बैठक में खोला जाएगा ।
16. निविदा खोलते समय वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है ।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।